लेख की प्रकृति	:-	लीज डीड
अवधि	:-	30 वर्ष
जिला	:-	मऊ
तहसील	:-	घोसी
मौजा	:-	ओजीपुर
आराजी न०	:-	गाटा न० 13 रकबा 0.954 हे.
क्षेत्रफल	:-	0.809 हे.
किराया की धनराशि	:-	2500 /- रु० प्रतिमाह
मालियत मु०	:-	150000

स्टाम्प शुल्क मु० :- 3600/- रु०

प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता)-

मै रामसोच पुत्र स्व० शिवपूजन प्रबन्धक बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान पकड़ी खुर्द (ओजीपुर) घोसी मऊ द्वारा संचालित बाबा जगदेव दास माँ अमरावती शिवपूजन महाविद्यालय पकड़ी ताल (ओजीपुर) घोसी मऊ उ०प्र० |

द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहीता)-

बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान पकड़ी खुर्द (ओजीपुर) घोसी मऊ प्रबंधक रामसोच पुत्र स्व० शिवपूजन ग्राम व पोस्ट- पकड़ी बुजुर्ग घोसी मऊ उ०प्र०|

विदित हो कि जायदाद स्थित मौजा ओजीपुर, परगना व तहसील घोसी व जिला मऊ के आराजी नंबर संख्या 13 रकबा 0.954 हे. | जिसके मालिक व स्वामी हम प्रथम पक्ष है द्वितीय पक्ष ने उक्त संपत्ति 30 वर्ष की अवधि के लिए विद्यालय संचालन हेतु 2500 /- रु० प्रतिमाह किराए पर लिया है संपत्ति से सम्बन्धित किरायेदारी की शर्तों व पट्टा की अवधि के संबंध में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी उभय पक्ष के मध्य ना पैदा होवे :-

1- यह की प्रथम पक्ष ने उक्त संपत्ति आज दिनांक 2 जुलाई 2022 से बतौर किराएदार की अवधि 30 वर्ष के लिए द्वितीय पक्ष को अध्यसित करा दिया है उक्त पट्टा दिनाक 01/05/2020 से शुरू होकर दिनांक 01/ 05/2050 को समाप्त होगा

2- यह की प्रथम पक्ष के किराये वाली संपत्ति का किराया 2000 रु० प्रति माह के हिसाब से द्वितीय पक्ष अदा करता रहेगा और उसकी रसीद या किराया अदायगी का अन्य सबूत हासिल करता रहेगा बिना किराया की रसीद या अन्य लिखित सबूत के किराया अदायगी मान्य नहीं होगी |

3- यह की द्वितीय पक्ष की किराया वाले भाग की किराएदारी हर अंग्रेजी माह की 1 तारीख से शुरू होकर उसी माह के अंतिम तारीख को समाप्त हुआ करेगी

4- यह की पट्टा की अवधि के अंदर द्वितीय पक्ष को अधिकार है व रहेगा कि वह उक्त संपत्ति पर बतौर किराएदार अध्यसित रहकर तबरीक़ पट्टा ग्रहिता एवं उसका उपयोग व उपभोग करेगा

5- यह की द्वितीय पक्ष किराया वाली भाग में अपने खर्च से सालाना रंगाई व सफाई व मरम्मत करता रहेगा और उक्त भाग को हमेशा मेंटेन रखेगा|

6- यह कि किराएदारी वाले भाग में द्वितीय पक्ष निर्मित शौचालय ,पानी व बिजली का खर्च किराएदारी के अलावा स्वयं वहन करेगा|

7- यह कि द्वितीय पक्ष 30 वर्ष बाद किराएदारी वाले भाग को खाली कर देगा और द्वितीय पक्ष का अधिकार बतौर लीज स्वत:समाप्त हो जाएगी तथा द्वितीय पक्ष जायदाद उपरोक्त पर कब्जा दखल प्रथम पक्ष को करा देगा|

8- यह कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष दोनों आपसी सहमती से इस लीज को 100 रु० के स्टाम्प पर कभी भी संसोधन या समाप्त कर सकते है|

9- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर उपलब्ध भवन का अथवा निर्माण कराकर

शैक्षणिक संस्थान ,आदि सम्बन्धित संस्थाओ से मान्यता / अनुमोदन / संबद्धता/

पंजीकरण /लाइसेंस प्राप्त कर संचालन कर सकेगा

इस वास्ते प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही होश हवास में वह खुद सोच समझ कर पढ़ सुनकर कतई तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे| पक्षकारो के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारों की फोटो प्रमाणित रूबरू गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्ष कार के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर

द्वारा टाइप कर तैयार किया गया है| विदित हो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व गवाहान की पहचान के रूप में आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न है|

लेखक :-

गवाह :-

1-

2-